# राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

पत्रांक:952/76/एक/~~ABMBVY~~ AG Audit/2017–18 दिनांक–25 मई, 2018

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
समस्त जनपद।

महोदय,

कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद के द्वारा अभिकरण मुख्यालय के माह अप्रैल 2015 से माह मार्च, 2017 तक की अवधि के लेखाभिलेखों के सम्प्रेक्षोंपरान्त प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवदेन के भाग–2 अ, प्रस्तर–8 में, वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य एवं मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जलनिकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं का सृजन योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में स्वीकृत परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर सृजित सम्पत्तियों को संबंधित स्थानीय निकायों को हस्तांतरण संबंधी विवरण उपलब्ध न कराये जाने विषयक आपत्ति दर्शाई गई है। प्रतिवेदन के भाग–2 अ, प्रस्तर–9 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार के अन्तर्गत कुल प्रशिक्षित लाभार्थियों का न्यूनतम 50 प्रतिशत सेवायोजन कौशल प्रदाता द्वारा न किये जाने विषयक आपत्ति दर्शाई गई है।

कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद के प्रतिवेदन के उपरोक्त प्रस्तर–8 एवं 9 की की छायाप्रतियॉ संलग्न करते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त प्रस्तरों में वर्णित आपत्ति के सम्बन्ध में सुसंगत अभिलेखों, ई0एण्ड एस0टी0पी0 के अन्तर्गत प्रशिक्षित लाभार्थियों के सेवायोजन संबंधी सूचना एवं शहरी निकायों को सृजित सम्पत्तियों के हस्तांतरण संबंधी प्रपत्र सहित व्याख्यात्मक टिप्पणी अविलम्ब अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

**प्रतिलिपिः**–परियोजना अधिकारी, डूडा, जिला नगरीय विकास अभिकरण समस्त जनपद को तत्काल व्याख्यात्मक टिप्पणी तैयार कर अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश सहित प्रेषित।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक

## भाग–2(अ)

**प्रस्तर–8 योजना के क्रियान्वयन हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 90740.42 लांख का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन नहीं किया जाना।**

योगदान
आर0के0 शर्मा
स0ले0प0अ0
MP=199-202
D = 435, 477, 1691,
91-956
M.I =
M.W. = 0.35
M.V. = 90740.40 Lacs
M.Value=31759.15Lacs

वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में शहरी क्षेत्रों के अल्पसंख्यक मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की योजनान्तर्गत शासन द्वारा धनराशि सूडा को उपलब्ध करायी गयी है। निदेशक राज्य नगरीय विकास अभिकरण लखनऊ द्वारा कार्यों के निष्पादन हेतु जिला नगरीय विकास अभिकरण को अवमुक्त की जाती है। स्वीकृत परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर सृजित सम्पत्तियों को स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित किया जाना चाहिए। व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

कार्यालय निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2015–16 में रू0 61,272.90 लाख की धनराशि शासन से प्राप्त हुयी थी, जिसके सापेक्ष सूडा द्वारा जिला नगरीय विकास अभिकरण को रू0 35874.302 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी एवं रू0 25398.00 लाख की धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी थी। वर्ष 2016–17 में रू0 54866.118 लाख की धनराशि जिला स्तर पर डूडा को अवमुक्त की गयी थी। इस प्रकार वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में कुल रू0 90704.42 लाख की धनराशि डूडा को अवमुक्त की गयी थी। वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में स्वीकृ परियोजनाओं के सापेक्ष पूर्ण/अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण, उस पर व्यय की गयी धनराशि का विवरण, व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा पूर्ण परियोजनाओं को स्थानीय निकाय को

हस्तान्तरण का विवरण के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख/सूचना इकाई स्तर पर उपलब्ध नहीं थी।

इस सम्बन्ध में इकाई का ध्यान आकर्षित करने पर उत्तर में बताया गया कि प्रथम किश्त की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् द्वितीय किश्त अवमुक्त की जाती है। हस्तान्तरण प्रमाण पत्र 04 जनपदों से प्राप्त है। शेष के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2016–17 की प्रगति रिपोर्ट के सम्बन्ध में बताया गया कि अगली सम्प्रेक्षा में उपलब्ध करा दिया जायेगा। इकाई के उत्तर एवं अभिलेखों से पुष्टि होती है कि योजना हेतु अवमुक्त धनराशि का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है, जो कि निदेशक, सूडा का दायित्व है। इकाई द्वारा 04 जनपदों का स्वीकृत कार्यों के सम्बन्ध में जो विवरण उपलब्ध कराया गया है वह वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 का है एवं अपूर्ण है।

अतः अवमुक्त धनराशि रू0 90740.42 लाख अवमुक्त धनराशि का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन नहीं किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

# भाग–2(अ)

## प्रस्तर–9 प्रशिक्षण के उपरान्त समायोजन शून्य होने के कारण रू0 4480.36 लाख का निष्फल व्यय।

योगदान
एम0के0 श्रीवास्तव
स0सं0अ0
AMP = 151-152
KD =
M.W. =
M. Value=
M.I. =

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (ई0 एण्ड एस0टी0पी0) अन्तर्गत शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वे वेतन परक रोजगार एवं स्वरोजगार हेतु लघु उद्यम स्थापित करते हुए अपनी आजीविका में स्थायी सुधार कर सके। शासन के पत्र सं0 88/69–1–2015–14(104)/2013 टी0सी0 दिनांक 20–01–2015 द्वारा निर्णय लिया गया है कि एन0यू0एल0एम0 के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार के अन्तर्गत शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं का इम्पैनलमेंट पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा शहर स्तर पर मिशन प्रबन्धन इकाई (सी0एम0एम0यू0) के माध्यम से किया जाना था।

कौशल प्रदाता द्वारा कुल प्रशिक्षित लाभार्थियों का न्यूनतम 50 प्रतिशत सेवायोजन किया जाना था। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समाप्ति के एक माह पूर्व से ही प्रशिक्षार्थियों को सेवायोजन हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा रणनीति तैयार कर सेवायोजन की कार्यवाही की जानी थी।

वर्ष 2015–16 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार एवं सेवायोजन हेतु वर्ष 2015–16 में रू0 4480.36 लाख प्रशिक्षण हेतु अवमुक्त किए गए थे। वर्ष 2015–16 में कुल 37140 कैंडिडेंट प्रशिक्षित किए गए जबकि सेवायोजन एवं स्वरोजगार वर्ष के अन्त तक शून्य था।

लेखापरीक्षा द्वारा सेवायोजन के शून्य रहने के कारण पूछे जाने पर इकाई ने प्रत्युत्तर में बताया कि भविष्य में सेवायोजन हेतु ध्यान रखा जायेगा।

अतः रू0 4480.36 लाख का निष्फल व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।